COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
1रु. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

276

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग - 2919 - I 16

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण   /2016 जिला–सिवनी

1– डिल्लीसिंह पिता स्व. श्री श्यामसिंह
2– संतोष पिता श्यामसिंह परधान
निवासीगण बीझावाड़ा तहसील व जिला सिवनी
3– शकुनबाई पत्नि छोटेलाल
निवासी बीझावाड़ा तहसील व जिला सिवनी ----- आवेदक

दिनांक 30.8.16 को श्री ओ० पी० शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत। 30.8.16 SO

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर जिला सिवनी म0प्र0 ----- अनावेदक

30.8.16

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 13–8–15 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक कमांक – 1 डिल्लीसिंह द्वारा ग्राम बींझावाड़ा प.ह. नं. 97 रा.नि.मं. सिवनी भाग दो स्थित भूमि खसरा नं. 32 रकबा 0.81 हैक्टर जो आवेदकगण के पिता श्यामसिंह को वर्ष 1976–77 में पट्टे पर प्राप्त हुई थी को विकय किए जाने की अनुमति दिए किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे जिलाध्यक्ष द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि आवेदकगण यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि उन्हें बीमारी हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा आवेदक इलाज कराए जाने हेतु शासकीय पट्टे की भूमि को बैंक में रहन कर केससीसी लोन ले सकता है । कलेक्टर का उक्त आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से निरस्ती योग्य है ।

3. यहकि, आवेदक को भूमि का पट्टा वर्ष 1976–77 में दिया गया था । आवेदक को उक्त भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । संहिता की धारा 158 (3) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरित न किए जाने का प्रावधान है, जबकि आवेदक द्वारा 37 वर्ष से अधिक समय उपरांत आवेदन दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं थी फिर भी आवेदक द्वारा राजधानी के

डिल्लीसिंह आदि विरूद्व म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2919–एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आवेदकों द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 28/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2015 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक डिल्लीसिंह द्वारा ग्राम बींझावाड़ा प0ह0नं0 97 रा0नि0मं0 सिवनी भाग–2 स्थित भूमिस्वामी शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि खसरा नं0 32 रकबा 0.810 जो कि उनके पिता श्यामसिंह को वर्ष 1976–77 में आवंटित की गई थी को विक्रय किए जाने की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया । आवेदन में यह भी लेख किया गया कि विक्रय में उसके भाई एवं बहन भी सहमत हैं अतः उन्हें उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति दी जाये । कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्व कर उक्त आवेदन अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के प्रतिवेदनों को अनदेखा किया है तहसीलदार ने जो प्रतिवेदन जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	माध्यम से जिलाध्यक्ष को प्रेषित किया गया है । उनमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदक को उचित प्रतिफल मिल रहा है, आवेदक पर कोई दबाव नहीं है तथा आवेदक अन्य स्थान पर भूमि क्रय करेगा, आवेदक द्वारा बीमारी के पर्चे इत्यादि जिलाध्यक्ष के समक्ष पेश करते हुए निवेदन किया गया कि था वह विक्रय से प्राप्त राशि से अपना एवं अपनी पत्नी का इलाज करायेगा तथा शेष बचती राशि से वह अपने पुत्रों को रोजगार के साधन बनाने एवं लगभग 1.00 भूमि क्रय करेगा किंतु इसके उपरांत भी जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में न्यायिक रूप से विचार न कर आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक ने जिन व्यक्तियों को भूमि विक्रय करने एवं क्रय करने का अनुबंध किया था वे अब भूमि क्रय नहीं कर रहे हैं और न आवेदक को विक्रय कर रहे हैं । इस कारण आवेदक अब अन्य गैर आदिवासी क्रेता को भूमि विक्रय करना चाहता है तथा अन्य व्यक्ति से भूमि क्रय करना चाहता है । यह भी कहा गया कि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है और पेंशन से उसके परिवार का जीवन यापन हो रहा है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक को आवेदित भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य है अतः इसी आधार पर निरस्त की जाये । यह भी कहा गया कि जिलाध्यक्ष ने आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । शासन की अनेक ऐसी योजनायें हैं जिनके तहत आवेदक अपना एवं अपनी पत्नि का इलाज करा सकता है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने के संबंध में है । प्रकरण में कलेक्टर, सिवनी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2919-एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के आवेदन को आदेश दिनांक 13-8-15 द्वारा निरस्त किया गया है । आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 30-8-16 को प्रस्तुत की है, जो विलंब से प्रस्तुत है । विलंब के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताए गए कारण समाधानकारक होने से विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है । 5/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदकों के पिता श्यामसिंह को 1976-77 में दिया गया था, जिस पर उसे उसे विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । पट्टाधारी श्यामसिंह की मृत्यु के उपरांत आवेदकों का वारिसाना नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर किया गया है । संहिता की धारा 158 (3) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरित न किए जाने का प्रावधान है, जबकि आवेदक द्वारा 37 वर्ष से अधिक समय उपरांत आवेदन प्रस्तुत किया गया है । जिलाध्यक्ष के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किये गये हैं उन पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया गया है क्योंकि भूमिस्वामी को परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता । वर्तमान प्रकरण में आवेदकों की ओर से बताए गए कारणों को देखते हुए उन्हें भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । विक्रय की अनुमति के प्रकरणों में मुख्य रूप से यह देखना होता है कि विक्रेता को भूमि का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं तथा उसके साथ कोई	

निग0 2919/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

छलकपट तो नहीं हो रहा है । इस प्रकरण में तहसीलदार ने जांच उपरांत जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किसी दबाव वश या प्रलोभन वश नहीं किया जा रहा है । यह भी लेख किया गया है कि आवेदक डिल्लीसिंह सेवानिवृत्त कर्मचारी है और आवेदक क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा भी भूमि विक्रय पर सहमति दी गई है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण में आए तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है जबकि जो आधार आवेदकों की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए हैं उनको देखते हुए आवेदकों को भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं थी । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है एवं आवेदकों को ग्राम बीझावाड़ा प0ह0नं0 97 रा0नि0मं0 सिवनी भाग-2 स्थित शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि खसरा नं0 32 रकबा 0.810 को गैर आदिवासी को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।

2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।

3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2919–एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में कराना अनिवार्य होगा । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निग0 2919-एक/16 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-1-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया । आवेदक अधिवक्ता तथा अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री राजीव गौतम को उक्त आवेदन पर सुना गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण कमांक निग0 2919-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 6-9-16 द्वारा आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त कमांक 4 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र के पंजीयन की शर्त रखी गई है । उनके द्वारा कहा गया कि उनका आवेदित भूमि को विक्रय करने का अनुबंध दीपक वास्त्री एवं देवेन्द्र वास्त्री पिता श्री मोतीलाल वास्त्री निवासी हीराभवन, महावीर वार्ड बरघाट रोड थाना तहसील व जिला सिवनी से हुआ था । निगरानी मेमो में भी उनके नाम का उल्लेख किया गया था परंतु उप पंजीयक द्वारा आदेश में प्रस्तावित केता का नाम न होने से विक्रयपत्र का पंजीयन नहीं किया जा रहा है और उक्त अवधि दिनांक 5-1-17 को समाप्त हो रही है । उक्त कारण से उनके द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र निष्पादन हेतु दिए जाने तथा प्रस्तावित केता को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने संबंधी आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है । विचारोपरांत न्यायहित में आवदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा इस निग0 कमांक 3150-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 6-9-16 में संशोधन करते हुए आवेदक को आवेदित भूमि दीपक वास्त्री एवं देवेन्द्र वास्त्री पिता श्री मोतीलाल वास्त्री को विक्रय करने की अनुमति देते हुए विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है । अन्य शर्ते यथावत रहेंगी । सदस्य	